यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.03.2019 से 28.03.2019 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण (ले.प.), श्री एन.के.बंसल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 27.02.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1120.88
2016-17	1960.09
2017-18	657.12

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया है यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व:- -03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय:- ------ को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर संख्या -01 अनियमित ITC का लाभ प्रदान किये जाने के कारण राजस्व हानि ₹ 1.87 लाख एवं अर्थदंड का अनारोपण ₹ 5.61 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार 4(2) से सम्बंधित अनुसूची – 3 में वर्णित वस्तुओ (wood एवं Timber) की खरीद पर ITC का लाभ अनुमन्य नहीं होगा| साथ ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत/झूठे दावे किये जाने पर न्यून्तम 5000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – **III** राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नानक ग्रामोध्योग सेवा संस्थान, हल्द्वानी कर निर्धारण 2012-13 द्वारा संगत वर्ष में टिम्बर की प्रान्तीय क्रय (दिनांक 30.05.12 से)पर Rs 1,87,050/- के ITC का दावा किया गया था| जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था जबकि टिम्बर उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची III से आछादित था अत: उक्त के प्रान्तीय क्रय पर ITC अनुमन्य नहीं होगा| इस प्रकार Rs 1,87,050/ का ITC रिवेर्से योग्य था| साथ ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार Rs 5,61,150/- का अर्थदंड आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि Audit आपति के क्रम में पत्रावली की जाँच की गयी| व्यापारी द्वारा 30.05.12 के उपरांत क्रय किये गये टिम्बर पर दवाकृत ITC Rs 1,87,050/- अनुमन्य नहीं बनती है| जिसपर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करने का आश्वासन विभाग के द्वारा दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.69 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – **III** राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि **01** व्यापारी द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि **₹ 689419**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार **₹** 68941/- का अर्थदण्ड अरोपनीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

संलग्नक

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (₹)	न्यूनीतमआ रोपनीय अर्थदण्ड (₹) (10%)
1.	सर्वश्री वेस्टन इंडिया सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड, हल्द्वानी	2014-15	01/2015	25.02.2015	228601	22860
			02/2015	25.03.2015	320529	32052
			03/2015	30.04.2015	140289	14029
TOTAL					689419	68941

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
SRA/CT-17/2011-12	-	02
CT-47/2016-17	-	01,02,03,04,05

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अजय विरथेर	असिस्टेन्ट कमि.(04/16 से 08/16)
2	श्रीमती उर्मिला सिंह पींचा	असिस्टेन्ट कमि.(08/16 से 03/18)
3	श्री दीपक काण्डपाल	राज्य कर अधि. (04/15 से 08/16)
4	श्री महेश राम	राज्य कर अधि. (08/16 से 03/18)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) - III, राज्य कर, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र